भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2055
दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

नलयुक्त जल आपूर्ति

2055. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सैयद इम्तियाज ज़लीलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अभी भी 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को नलयुक्त जल आपूर्ति उपलब्ध नहीं है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों के साथ बैठक की है और यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक परिवार हेतु 'नल से जल' सुनिश्चित करने के लिए कोई नया मिशन प्रारंभ करने की योजना बनाई है; और
(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य क्या है और इस मिशन को कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 18.33% ग्रामीण परिवार पारिवारिक नल कनेक्शन से पेयजल प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकारें स्वयं की अपनी नीतियों और उनके पास उपलब्ध निधियों के अनुरूप पारिवारिक कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सशक्त हैं।

(ग) जी हाँ। जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में हाल ही में 11 जून, 2019 को जल संसाधन एवं जल आपूर्ति राज्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मौजूदा स्थिति से उत्पन्न चिंताओं के समाधान करने हेतु राज्यों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की गई। इसमें 18 राज्यों के जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। तथापि, सभी राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया।

(घ) से (ड.) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।